संख्या 1647/चौवालिस-2-27/1994

प्रेषक,

श्री बृजेन्द्र सहाय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक
विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

लखनऊः दिनांकः 26 सितम्बर, 1994

**विषयः–** सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में कार्य दक्षता सुनिश्चित करने,उन्हें सरकारी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने एवं उनके पुनर्गठन/निजीकरण आदि के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या863-चौवालिस-2-1994 दिनांक 1-6-94 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित कार्यवाही भी करने का निर्णय लिया गया है:–

(1) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के बारे में निगमों/तथा प्रशासनिक विभागों के मध्य विवाद होने की दशा में उन्हें सुलझाने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य किया जायेगा। अतः ऐसे विवाद, यदि कोई हों, तो उन्हें सुलझाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभागों द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग को प्रस्ताव भेजे जायेंगे।

(2) प्रशासनिक विभागों द्वारा सामाजिक उपादेयता तथा जनकल्याण का कार्य करने वाली इकाईयों का चिन्हींकरण किया जाय। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी आवश्यक है कि सम्बन्धित निगमों के प्रशासनिक विभाग द्वारा सामाजिक उपादेयता तथा जनकल्याण से सम्बन्धित कार्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाय। वे कृपया सामाजिक उपादेयता तथा जनकल्याण के कार्यों के कारण होने वाली हानि का लेखा जोखा अलग से रखे जाने तथा सम्बन्धित निगमों की बैलेंस शीट में भी इसे पृथक दर्शाये जाने की व्यवस्था करें ताकि इस बात का सही आंकलन किया जा सके कि कौन सी हानि निगमों द्वारा समाजिक उपादेयता तथा जनकल्याण का कार्य करने के कारण हुई है तथा कौन सी हानि सीधे निगम के कुप्रबन्ध के कारण हुई है।

(3) सामाजिक उपादेयता की दृष्टि के निगमों में भी कुछ क्रियायें ऐसी हैं जो या तो निजी क्षेत्र के माध्यम से या फिर सरकारी विभागों की पद्धति पर कराई जा सकती है। प्रशासनिक विभागों द्वारा ऐसे कार्यों का चिन्हीकरण किया जाय। इस कार्य के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग नोडल विभाग की भूमिका निभायेंगे।

(2) कृपया उपरोक्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाय एवं प्रगति से सार्वजनिक उद्यम विभाग को अवगत कराया जाय।

भवदीय,
**[ बृजेन्द्र सहाय ]**
मुख्य सचिव।

संख्या 1647 (1)/चौवालिस-2/94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के प्रशासनिक विभाग
(2) प्रमुख सचिव, श्रम विभाग
(3) सचिव, न्याय विभाग।
(5) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।

आज्ञा से,
**[आर०एस० निगम]**
विशेष सचिव।